2011 श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : करतारसिंह पूनियां, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 26/11

प्रीतम सिंह पुत्र श्री करतारसिंह जाति रायसिख साकिन खाटलबाना तहसील व जिला श्रीगंगानगर हाल आबाद गावं अयालकी साधवाली ढाणी तहसील व जिला फतेहबाद (हरियाणा)

अपीलार्थी

बनाम

1. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्री गंगानगर।
2. अर्जनसिंह पुत्र श्री वजीरसिंह जाति रायसिख साकिन खाटलबाना तह0 व जिला श्रीगंगानगर।
3. कालासिंह पुत्र श्री करतारसिंह जाति रायसिख साकिन अयालकी साधवाली ढाणी तहसील व जिला फतेहबाद (हरियाणा)
4. चरणसिंह पुत्र श्री करतारसिंह जाति रायसिख साकिन अयालकी साधवाली ढाणी तहसील व जिला फतेहबाद (हरियाणा)
5. सुन्दरसिंह पुत्र श्री करतारसिंह जाति रायसिख साकिन अयालकी साधवाली ढाणी तहसील व जिला फतेहबाद (हरियाणा)
6. पहलवानसिंह पुत्र श्री करतारसिंह जाति रायसिख साकिन अयालकी साधवाली ढाणी तहसील व जिला फतेहबाद (हरियाणा)
7. इन्द्रसिंह पुत्र श्री करतारसिंह जाति रायसिख साकिन अयालकी साधवाली ढाणी तहसील व जिला फतेहबाद (हरियाणा)
8. सुहावाबाई पत्नी श्री बन्सासिंह जाति रायसिख साकिन मोहरसिंह वाला थैड राणियॉ तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)
9. पारोबाई पत्नी श्री बिल्लूसिंह जाति रायसिख साकिन मोहरसिंह वाला थैड राणियॉ तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)
10. हुकमीबाई पत्नी श्री जरनैलसिंह जाति रायसिख साकिन अयालकी साधवाली ढाणी तह0 व जिला फतेहाबाद (हरियाणा)

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 15–12–2010 तहसीलदार, श्री गंगानगर निरस्त करने के संबंध में।

उपस्थित :

1.श्री वारिन्द्रपालसिंह, अधिवक्ता, अपीलार्थी
2.राजकीय अधिवक्ता, स्टेट की ओर से रेस्पो0 सं01
3.श्री हंसराज तनेजा, अधिवक्ता,रेस्पोडेन्टस सं0 2
4.श्री भगतसिंह जाखड़, अधिवक्ता, रेस्पो0 सं0 3,5से 10

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

2011 — अति.जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

आदेश **दिनांक : 02—05—2017**

प्रस्तुत अपील के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट का नाना वजीरसिंह व नानी जगनकौर चक 2 एफ बड़ा के खाता सं0 90 में गहनासिंह, वजीरसिंह बहिस्सा बराबर जाति रायसिख पुख्ता आवंटी गैरखातेदार मु0 नं0 5/6.074 है0, 26/1.556 है0, 27/1.935 है0, 57/0.253 व 57/21/0.088 है0 कुल 9.906 है0 जिसमें 7.715है0 नहरी, 2.390 है0 बारानी व 0.341 है0 खाल दर्ज है। वर्तमान में पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार मु0 नं0 27 का 1.935 है0 व मु0 नं0 5 का 12.06 बीघा कुल 20.05 बीघा रकबा वजीरसिंह व उसकरी पत्नी जगनबाई के पास था तथा इसका जायज वारिस अकेला अर्जनसिंह को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया है जबकि अपीलांट के नाना वजीरसिंह व जगनबाई के जायज वारिस अर्जनसिंह के अलावा अर्जनसिंह की बहन ज्योतिबाई व लक्ष्मीबाई थी वारिस थी। इस प्रकार वजीरसिंह के कुल तीन वारिस थे। अर्जनसिंह केवल 1/3 हिस्सा रकबा का ही वारिस था जबकि उसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त रकबा का वारिस घोषित किया गया है। वजीरसिंह की पुत्री ज्योतिबाई का देहान्त हो चुका है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण रूप से जॉच न कर अपीलकृत आदेश पारित किया गया है। अपीलांट को ग्राम पंचायत खाटलबाना के सरपंच द्वारा वारिसान प्रमाण पत्र दिनांक 2.6.05 को जारी किया गया है, जिसमें आवंटी वजीरसिंह व जगनबाई के जायज वारिसान अर्जनसिंह, ज्योतिबाई(अपीलांट की माता), लक्ष्मीबाई कुल तीन वारिस बताये हैं। अपीलांट की माता के जायज वारिसान कालासिंह, चरणसिंह, सुन्दरसिंह, प्रीतमसिंह (अपीलांट) पहलवानसिंह, इन्द्रसिंह, सुहावांबाई, पारोबाई, हुकमीबाई(अपीलान्ट व रेस्पो0 सं0 3 से 10) बताए गए हैं जबकि वारिसान की पूर्ण जॉच न करके अकेले अर्जनसिंह को जायज वारिस बनाया गया है। आवंटन मुश्तर्का खाते में महणासिंह पुत्र श्री दुनासिंह के साथ है। सह आवंटी महणासिंह की मृत्यू हो चुकी है। सह आवंटी के जायज वारिसान को बुलाकर वारिसानों की जॉच की जानी चाहिये थी। भूमि के कब्जा काश्त की जॉच नहीं की गई है। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलकृत आदेश दिनांक 15—12—10 निरस्त फरमाया जावे।

अपीलकृत आदेश से संबंधित रेकार्ड मंगवाया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कहा है कि अपीलांट का नाना वजीरसिंह व नानी जगनकौर चक 2 एफ बड़ा के खाता सं0 90 में गहनासिंह, वजीरसिंह बहिस्सा बराबर पुख्ता आवंटी गैरखातेदार कुल 9.906 है0 है, जिसमें 7.715है0 नहरी, 2.390 है0 बारानी व 0.341 है0 खाल दर्ज है। वर्तमान में पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार मु0 नं0 27 का 1.935 है0 व मु0 नं0 5 का 12.06 बीघा कुल 20.05 बीघा रकबा वजीरसिंह व उसकी पत्नी जगनबाई के पास था तथा इसका जायज वारिस अकेला अर्जनसिंह को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया है जबकि अपीलांट के नाना वजीरसिंह व जगनबाई के जायज वारिस अर्जनसिंह के अलावा अर्जनसिंह की बहन ज्योतिबाई व लक्ष्मीबाई कुल तीन वारिस थे। अर्जनसिंह केवल 1/3 हिस्सा रकबा का ही वारिस था जबकि उसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त रकबा का वारिस घोषित किया गया है। वजीरसिंह की पुत्री ज्योतिबाई का देहान्त हो चुका है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण रूप से जॉच न कर अपीलकृत आदेश पारित किया गया है। अपीलांट को ग्राम पंचायत खाटलबाना के सरपंच द्वारा वारिसान प्रमाण पत्र दिनांक 2.6.05 को जारी किया गया है, जिसमें आवंटी वंजीरसिंह व जगनबाई के जायज वारिसान अर्जनसिंह, ज्योतिबाई (अपीलांट की माता), लक्ष्मीबाई कुल तीन वारिस बताये हैं। अपीलांट की माता के जायज वारिसान कालासिंह, चरणसिंह, सुन्दरसिंह, प्रीतमसिंह (अपीलांट)पहलवानसिंह, इन्द्रसिंह, सुहावांबाई, पारोबाई, हुकमीबाई(अपीलान्ट व रेस्पो0 सं0 3 से 10) बताए गए हैं। आवंटन मुश्तर्का खाते में महणासिंह पुत्र श्री दुनासिंह के साथ है। सह आवंटी महणासिंह की मृत्यू हो चुकी है। सह आवंटी के जायज वारिसान को बुलाकर वारिसानों की जॉच नहीं की गई है। भूमि के कब्जा काश्त की जॉच नहीं की गई है। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलकृत आदेश दिनांक 15–12–10 निरस्त फरमाया जावे

रेस्पो0 के अधिवक्ता अपनी बहस में कहा है कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलकृत आदेश विधिपूर्ण है। कानूनी प्रावधानों की पालना कर अपीलकृत आदेश पारित किया गया है। अपील सारहीन है। दौराने बहस रेस्पो. के अधिवक्ता ने न्यायालय का ध्यान राज0 भू0 राजस्व अधिनियम, 1956 के प्रावधानों एवं आर आर डी 14.02.09 पेज 123 तथा 2008 (1) डी एन जे (राज0) पेज 396 के न्यायिक दृष्टान्तों की ओर दिलाते हुए निवेदन किया है कि अपील खारिज की जावे।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

2011 – अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 15–12–10 जो वारिसाना वाद सं0 3/10 में पारित किया गया है, को अपील के माध्यम से चुनौति देकर, निरस्त कराये जाने का अनुतोष चाहा गया है।

अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि चक 2 एफ बड़ा में 40 बीघा 15 बिस्वा रकबा क्लेमेन्ट के रूप में गहणासिंह, वजीरसिंह पिसरान दुन्नासिंह को कस्टोडियन विभग द्वारा आवंटित किया गया था। बाद में क्लेम खारिज होने पर उक्त रकबा में से 20 बीघा 8 बिस्वा रकबा श्रीमती जगनबाई पत्नी वजीरसिंह पुत्र श्री दुन्नासिंह को पुनः नॉन क्लेमेन्ट के रूप में आवंटित की गई। वर्तमान में, पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार उक्त रकबे में से मु0 नं0 27 का 1.935 है0 व मु0 नं0 5 का 12 बीघा 6 बिस्वा कुल 20 बीघा 5 बिस्वा रकबा श्री वजीरसिंह के वारिस अर्जनसिंह के कब्जा काश्त में बताई गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अर्जनसिंह के शपथ पत्र पर वारिस घोषित करने के निवेदन पर कार्यवाही की गई । उक्त रकबा में से 20 बीघा 8 बिस्वा रकबा अकेली श्रीमती जगनबाई पत्नी वजीरसिंह को आवंटित की गई है। जगनबाई व वजीरसिंह का देहान्त हो चुका है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी वारिसनामें के अनुसार जगनबाई एवं वजीरसिंह का एकमात्र वारिस अर्जनसिंह है। गवाहान बलवीरसिंह व ठाकरसिंह ने भी अपने बयानों में यह स्वीकार किया है किक्लेम खारिज होने के बाद उक्त भूमि में से 20 बीघा 8 बिस्वा रकबा जगनबाई को नॉन क्लेमेन्ट के रूप में आवंटित की गई। वजीरसिंह व जगनबाई का एक ही वारिस अर्जनसिंह है। दिनांक 20–12–02 को सरपंच खाट लबाना द्वारा जग्गो बाई पत्नी वजीरसिंह का एक मात्र वारिस अर्जनसिंह का प्रमाण पत्र जारी किया गया था। बाद में सरपंच, ग्राम पंचायत खाट लबाना द्वारा दिनांक 2–6–05 को वारिस प्रमाण पत्र जारी कर जग्गोबाई पत्नी वजीरसिंह के जायज वारिस अर्जनसिंह (पुत्र) ज्योतिबाई (पुत्री) एवं लक्ष्मीबाई (पुत्री) तीन वारिस माने हैं। दिनांक 2–6–05 को जारी वारिस प्रमाण पत्र की शिकायत में जॉच करने पर वजीरसिंह का एक मात्र वारिस अर्जनसिंह को ही माना गया है। दिनांक 20–7–99 को दुनासिंह पुत्र रंगसिंह जाति रायसिख निवासी खाटलबाना के निधन हो जाने पर ग्राम पंचायत द्वारा वारिस प्रमाण पत्र जारी किया गया, जिसमें स्व0 ज्योतिबाई पुत्री, गहणासिंह पुत्र, वजीरसिंह पुत्र एवं लक्ष्मीबाई पुत्री को दुनासिंह के वारिस होना बताये गये हैं। वजीरसिंह, दुनासिंह का निधन हो चुका है, जिसका जायज वारिस अकेला अर्जनसिंह है। इस संबंध में अपीलांट प्रीतमसिंह द्वारा दिनांक 11.10.11 को एफ आई आर सं0 233 दर्ज कराई गई

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

थी, जिसके अनुसंधान में यह पाया गया कि ज्योतिबाई वजीरसिंह व गहनासिंह की बहिन है व दुनासिंह की पुत्री है। इस प्रकार, बाद अनुसंधान एफ आई आर में अंकित तथ्य अन्वेषण से अप्रमाणित पाए गए हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खाता सं0 90 के आधे हिस्से के लिए अर्जनसिंह पुत्र वजीरसिंह को वारिस व हकदार घोषित करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है।

फलस्वरूप, अपील अपीलांट खारिज की जाती है। आदेश की प्रति मय रेकार्ड अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जावे।

आदेश आज दिनांक 2–5–17 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(करतारसिंह पूनियाँ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्री गंगानगर।